दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि.) सं.385/2014 और सि.वि. सं.765, 766 और 767/2014

निर्णय तिथि: 23 जनवरी, 2014

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रुचिर मिश्रा, अधिवक्ता

बनाम

पी. कुलश्रेष्ठ और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री. एम.के. भारद्वाज, अधिवक्ता

और

रि.या.(सि.) सं.407/2014 और सि.वि. सं. 801, 802 और 803/2014

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रुचिर मिश्रा, अधिवक्ता

बनाम

सुश्री महुआ बनर्जी ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.के. भारद्वाज, अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>गीता मित्तल, न्या.</u> (मौखिक)

<u>रि.या. (सि.)सं. 385/2014 में सि.वि. सं.766-767/2014 और रि.या. (सि.)सं. 407/2014 में सि.वि. सं.802-803/2014</u>

1. अनुमति, केवल अपवादों के अधीन है।

<u>रि.या.(सि.) सं.385/2014 और सि.वि. सं.765/2014</u>
<u>रि.या.(सि.) सं..407/2014 और सि.वि. सं.801/2014</u>

2. इस मामले में प्रत्यर्थीगण वे वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे भारत सरकार द्वारा 9 नवंबर, 1998 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/41/97-पी.आई.सी. के द्वारा लचीली पूरक स्कीम (इसके बाद 'एफ.सी.एस.') के लाभार्थी थे। आवेदकों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) के समक्ष मूल आवेदन, मू.आ. सं. 2142/2011 और 578/2012 दायर किया, जिसमें प्रत्यर्थीगण के खिलाफ पदोन्नति के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें उन्हें बाद की तारीखों में पदोन्नति दी गई थी। याचीगण ने इस न्यायालय के 5 अक्टूबर, 2010 के निर्णय पर भरोसा जताया, जिसका शीर्षक ***एस.के. मूर्ति बनाम भारत संघ*** जिसे अपील के लिए विशेष अनुमति (सिविल) (सी.सी. सं. 6864/2011) के द्वारा अपील में लिया गया था जिसका शीर्षक ***भारत संघ और अन्य बनाम डॉ.एस.के मूर्ति और अन्य भारत संघ और अन्य*** को उच्चतम न्यायालय द्वारा 2 मई, 2011 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया

गया था। यह स्पष्ट है कि रि.या. (सि.) सं. 14263/2004 में इस न्यायालय का निर्णय और 2 मई, 2011 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय लचीली पूरक स्कीम के तहत लाभों पर विचार करने से उत्पन्न हुआ, जिस पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष वर्तमान प्रत्यर्थीगण द्वारा भरोसा किया गया था।

3. इस स्कीम के अनुसार, अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति देने की प्रक्रिया को तीन साल और चार साल पूरे होने से पहले रु.15600-39100 + ग्रेड वेतन रु.5400-और रु.15600-39100 + ग्रेड वेतन रु.7600/- के वेतनमान में पूरा करना आवश्यक है। इस स्कीम में आगे कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा संबंधित विभाग की अध्यक्षता में विधिवत गठित निर्धारण बोर्ड द्वारा उच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों को स्व-स्थाने पदोन्नति के लिए प्रदर्शन से जुड़ी न्यूनतम निवास अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके बाद, निर्धारण बोर्ड सक्षम प्राधिकारी को निवास अवधि के पूरा होने की तारीख से वैज्ञानिक "बी" से "सी" को रु.15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रु.5400/-, के वेतनमान पर, वैज्ञानिक "सी" से "डी" को रु.15 600-39100 + ग्रेड वेतन रु.7600/- के वेतनमान पर, और वैज्ञानिक "डी" से "ई" को रु.37400-67000 + ग्रेड वेतन रु.8700/- के वेतनमान पर पदोन्नति देने के लिए सिफारिशें करेगा। निर्धारण बोर्ड की सिफारिश के आधार पर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी या 1 जुलाई से अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की प्रभावी तिथि के लिए प्रावधान हैं।

4. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि उन्हें 1 जुलाई, 2009 को और कुछ मामलों में 1 जनवरी, 2009 से पदोन्नति दी जानी थी। हालाँकि, उन्हें तब तक प्रतिफल और पदोन्नति से वंचित कर दिया गया जब तक कि प्रत्यर्थीगण ने 29 अक्टूबर, 2010 को आदेश पारित नहीं किया, जिसके तहत उन्हें वास्तव में पदोन्नति दी गई थी।

5. प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के समक्ष शिकायत की कि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर वैज्ञानिकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को भी पूरा करने में विफल रहा है, जिसे संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर की समाप्ति से 90 दिन पहले पूरा किया जाना आवश्यक था।

6. इसके अलावा, निर्धारण बोर्ड के गठन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज हमें प्रत्यर्थीगण की ओर से सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 29 अक्टूबर, 2010 को आदेश पारित होने के बाद से 2010 से कोई भी बोर्ड गठित नहीं किया है।

7. एक महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने केवल प्रत्यर्थीगण को यथास्थिति पदोन्नति में प्रभावित किया है। हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है जो यह दर्शाए कि उस कार्य में कोई अंतर है जो प्रत्यर्थीगण द्वारा उनकी पदोन्नति से पहले या उसके बाद किया जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है

कि एकमात्र अंतर वित्तीय लाभ में है जो प्रत्यर्थीगण को उनकी पदोन्नति के बाद प्राप्त होगा।

8. यह उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञापन सं. 826/2003 के द्वारा ***डॉ.एस.के.मूर्ति और अन्य*** द्वारा किए गए इसी तरह के दावे का समापन 3 दिसंबर 2003 के एक निर्णय में हुआ जिसे खारिज कर दिया गया था। अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि वे आवेदक विभागीय पुनरीक्षण समिति/जांच समिति द्वारा सफल घोषित किए जाने की तारीख से केवल सांकेतिक पदोन्नति के हकदार थे। इस पर रि.या.(सि.) सं. 14263/2004 के द्वारा चुनौती दिया गया था।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले की तरह दोनों पक्षों ने 17 जुलाई, 2002 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित एफ.सी.एस. स्कीम पर भरोसा किया था, जिसके प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:-

> "पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा स्कीम में कमियों/अपर्याप्तताओं को दूर करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक और तकनीकी विभागों में चल रही लचीली पूरक स्कीम (एफ.सी.एस.) को संशोधित करने के लिए की गई सिफारिशों की कुछ समय पहले जांच की गई थी और इस विभाग ने दिनांक 9.11.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/41/97 पी.आई.सी. में तत्कालीन मौजूदा एफ.सी.एस. को संशोधित करते हुए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इस विभाग में प्राप्त कई संदर्भों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वैज्ञानिक विभागों में उस तारीख को भ्रम का

तत्व मौजूद है जिस तारीख से एफ.सी.एस. के तहत मूल स्थान पर पदोन्नति दी जानी है। पदोन्नति एक संभावित तिथि से प्रभावी की जाती है, जब सक्षम प्राधिकारी ने इसे मंजूरी दे दी हो। पदोन्नति में इस सामान्य सिद्धांत का पालन किया जाता है और यह सिद्धांत एफ.सी.एस. के तहत स्व-स्थाने पदोन्नति के मामले में भी लागू होता है।

2. वास्तव में, एफ.सी.एस. मामलों में भूतलक्षी प्रभाव के साथ पदोन्नति के आवेदन की आवश्यकता का कोई अवसर उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक पदों के लिए नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि निर्धारण बोर्ड वर्ष में कम से कम एक बार स्व-स्थाने पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। वैज्ञानिक पदों के लिए अधिसूचित नियमों में चयन समिति/निर्धारण बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई से पहले वर्ष में दो बार पदोन्नति की समीक्षा करने का प्रावधान है और चयन समिति/निर्धारण बोर्ड को 1 जनवरी और 1 जुलाई की इन महत्वपूर्ण तिथियों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति पर अपनी सिफारिश करना आवश्यक है। सक्षम प्राधिकारी, जिसे इन सिफारिशों के आधार पर अंतिम विचार करना है, यह सुनिश्चित करेगा कि भूतलक्षी प्रभाव से कोई पदोन्नति नहीं दी गई है।"

10. रि.या. सं. 14263/2004 में 5 अक्टूबर 2003 के निर्णय द्वारा डॉ. एस.के. मूर्ति और अन्य के पक्ष में अनुकूल निर्णय दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 17 जुलाई, 2002 के

कार्यालय ज्ञापन में आदेश दिया गया है कि अधिकारियों को 1 जनवरी और 1 जुलाई की महत्वपूर्ण तिथियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है, जहां से लचीली पूरक स्कीम के तहत स्व-स्थाने पदोन्नति प्रभावी होनी है। उच्च न्यायालय के निर्णय का कार्यकारी भाग इस प्रकार है:-

> "5. यह कहना पर्याप्त होगा कि ज्ञापन में प्रत्येक वर्ष लागू होने वाले स्थान पर पदोन्नति में लचीली पूरक स्कीम की आवश्यकता होती है और जिसके लिए परिपत्र में कहा गया है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई की महत्वपूर्ण तिथियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण पहले से ही किया जाना चाहिए, जहाँ वाद पदोन्नति में लचीली पूरक स्कीम को लागू किया जाना है।
>
> 6. पैरा 20 के अंतिम वाक्य पर प्रत्यर्थीगण द्वारा भरोसा किया गया है और यह आग्रह किया गया कि कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भूतलक्षी प्रभाव से कोई पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए याचिकाकर्ता का उत्तर यह है कि पूर्ववर्ती दो वाक्य यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि निर्धारण बोर्डों का गठन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 अप्रैल पदोन्नति को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं।
>
> 7. अब, कोई भी अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता है। प्रत्यर्थीगण द्वारा समय पर निर्धारण बोर्ड/चयन समिति का गठन नहीं करने के लिए हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है।
>
> 8. इसके अलावा, पदोन्नति का वर्तमान मामला वह नहीं है जहां रिक्ति उत्पन्न होने पर पदोन्नति की जानी है। उपयुक्त पाए

जाने पर याचिकाकर्ता को यथावत पदोन्नति का अधिकार है। यथास्थिति में पदोन्नत किया जाए। यह स्थिति किसी व्यक्ति को चयन वेतनमान प्रदान करने के समान होगी और पात्रता की तिथि वह तिथि होगी, जहाँ से लाभ प्रदान किया जाएगा।

9. इन परिस्थितियों में हम याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय सुनाते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को दिए गए लाभ की गणना 19.9.2000 के बजाय 1.1.1999 से की जाए। बकाया राशि का भुगतान आज से 12 सप्ताह के भीतर बिना किसी ब्याज के किया जाएगा।"

11. इस न्यायालय के निर्णय को विशेष अनुमति अपील (सी.सी.) संख्या 6864/2011) ***भारत संघ एवं अन्य बनाम एस.के. मूर्ति*** के माध्यम से प्राधिकारियों द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने 2 मई, 2011 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया था, जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया था:-

"हमने याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा स्वाहनी और विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र मोहन शर्मा को सुना है और प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र मोहन शर्मा जो केवियट दाखिल किया है और अभिलेख का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

प्रत्यर्थी, जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में वैज्ञानिक ग्रेड-डी पद पर कार्यरत था, 1.1.1999 से एफ.सी.एस. के तहत पदोन्नति के लिए पात्र हो गया। हालाँकि, विभागीय पुनरीक्षण

समिति/चयन समिति की बैठक विलम्ब से होने के कारण, उनकी पदोन्नति में देरी हुई और 20.10.2000 के आदेश द्वारा, उन्हें 19.9.2000 से प्रभावी रूप से पदोन्नत किया गया।

प्रत्यर्थी और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 10 अन्य वैज्ञानिकों ने याचीगण को पात्रता की तिथि से, अर्थात, 1.1.1999 से पदोन्नति देने का निर्देश देने के लिए मूल आवेदन संख्या 826/203 दायर किया। अधिकरण ने मूल आवेदन को खारिज कर दिया और अभिनिर्धारित किया दिनांक 10.11.1998 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए, आवेदक भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति के हकदार नहीं theथे। प्रत्यर्थी द्वारा दायर पुनर्विलोकन याचिका को अधिकरण द्वारा दिनांक 14.1.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालांकि, प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका (सि.) सं. 14263/2004 को उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा अनुमति दी गई थी और याचीगण को निर्देश दिया गया था कि वे 1.1.1999 से प्रभावी मानी गई पदोन्नति के आधार पर उन्हें सभी लाभ दें।

हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा याचीगण को पात्रता प्राप्त करने की तारीख से प्रत्यर्थी को पदोन्नति करने का निर्देश देने के लिए दिए गए कारण विधिक रूप से सही हैं और आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने के लिए कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

यह विवाद नहीं है कि जब विभागीय पुनरीक्षण समिति ने प्रत्यर्थी और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के मामले पर

पदोन्नति के लिए विचार किया था, तब रिक्तियां मौजूद थीं। यह भी विवाद नहीं है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के पैराग्राफ 51.25 के अनुसार, विभागीय पुनरीक्षण समिति/निर्धारण बोर्ड को हर छह महीने में, यानी जनवरी और जुलाई में बैठक करना आवश्यक था और पदोन्नति को पात्रता की तारीख से प्रभावी बनाया जाना था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश में कोई त्रुटि खोजना संभव नहीं है।

तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।"

12. हमारे सामने, याचिकाकर्ता ने 17 जुलाई, 2002 के उसी कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा किया है जो एफ.सी.एस. स्कीम को निर्धारित किया है।

13. हमने ध्यान दिया है कि जहां तक वर्तमान याचिकाओं का संबंध है, उनकी पदोन्नति के संबंध में औपचारिक आदेश याचिकाकर्ता द्वारा 29 अक्टूबर, 2010 को पारित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर, 2010 के अपने निर्णय में निर्धारित सिद्धांत 17 जुलाई, 2002 की स्कीम के निर्माण पर प्रत्यर्थीगण पर पूरी तरह से लागू होंगे। निर्णय की चुनौती को भी 2 मई, 2011 को खारिज कर दिया गया था।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा ने 21 सितंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा व्यक्त किया है, जो वास्तव में 17 जुलाई, 2002 के पूर्व कार्यालय ज्ञापन का स्पष्टीकरण है। उस को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल 2002 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित बात को दोहराता है और

याचीगण को कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में शीघ्रता और तत्परता के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह कार्यालय ज्ञापन उस तिथि के बाद का है जिस तिथि से प्रत्यर्थी अधिकारों का दावा कर रहे हैं। जहाँ तक वर्तमान प्रतिफल (क्षतिपूर्ति) का संबंध है, हम उच्चतम न्यायालय की उद्घोषणा और पूर्व न्यायनिर्णयन तथा उस तरीके की व्याख्या से बंधे हैं जिसमें याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना अपेक्षित है। इसकी व्याख्या 5 अक्टूबर, 2010 के निर्णय में भी की गई है।

15. हमारा ध्यान 17 नवंबर, 2008 के आदेश की ओर आकर्षित किया गया है जिसे अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर मूल आवेदन के साथ संलग्न किया गया था। इस आदेश द्वारा, वर्तमान प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने मूल आवेदनों में दावा की गई राहत याचिकाकर्ता संगठन के समान कई अन्य पदस्थ कर्मियों को दी गई है। प्रत्यर्थीगण को वही लाभ नहीं देने के लिए अभिलेख पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है जो याचीगण द्वारा समान रूप से अन्य पदस्थ व्यक्तियों को दिया गया है।

16. हमारे समक्ष, याचिकाकर्ता की ओर से जोरदार तर्क दिया गया है कि अधिकरण द्वारा 15 मार्च, 2012 के आक्षेपित निर्णय में दिए गए निर्देश प्रत्यर्थीगण को उस काम के लिए वेतन देने के समान हैं, जो उन्होंने नहीं किया है। हम यह देखने में विफल रहे कि 'काम नहीं, तो वेतन नहीं' का सिद्धांत वर्तमान मामले पर कैसे लागू होता है। यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि

प्रत्यर्थीगण को 'स्व-स्थाने पदोन्नति' दी गई है जिसका अर्थ यह होगा कि वे वही कार्य कर रहे थे जो उन्हें अपनी पदोन्नति के बाद करने थे। स्व-स्थाने अभिव्यक्ति से यह भी स्पष्ट है कि जिस स्थान या स्थिति में वे काम कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि प्रत्यर्थीगण को उस काम के लिए कोई राशि दी जा रही है जो उन्होंने नहीं किया है।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सिविल अपील सं. 4222/2006, ***भारत संघ और अन्य बनाम तरसेन लाल और अन्य,*** में उच्चतम न्यायालय के 21 सितंबर, 2006 के निर्णय पर भी भरोसा किया है। इस मामले में, उच्चतम न्यायालय भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली के तहत निर्देशों पर विचार कर रहा था। प्रत्यर्थीगण ने वास्तव में उच्च पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया था। इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उनकी पदोन्नति करने में प्रशासनिक त्रुटि के कारण कोई बकाया नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

18. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि इसी निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने ***2007 (6) एस.सी.सी. 254 केरल राज्य एवं अन्य बनाम ई. भास्करन पिल्लई*** में दिए गए अपने बाद के निर्णय में प्रतिष्ठित किया था। कई निर्णयों ***भारत संघ बनाम तरसेम लाल (पूर्वोक्त)*** के निर्णय

सहित) पर विचार करने के बाद, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

> "हमने दोनों पक्षों की ओर से उद्धृत किए गए निर्णयों पर विचार किया है। जहाँ तक भूतलक्षी पदोन्नति के साथ मौद्रिक लाभों के संबंध में स्थिति का संबंध है, वह मामले-दर-मामले पर निर्भर करती है। कई पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। कभी-कभी विभागीय जांच या आपराधिक मामले में यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे मामले में शामिल अपराध की प्रकृति को देखते हुए पूर्ण वेतन या पिछले वेतन का 50 प्रतिशत प्रदान करें या आपराधिक मामलों में जहां पदधारी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया या पूरी तरह से दोषमुक्ति कर दिया गया है। कभी-कभी उस मामले में जब व्यक्ति को हटा दिया जाता है और वह न्यायालय या अधिकरण के समक्ष इसे चुनौती देता है और वह उसमें सफल हो जाता है और उस तिथि से उसके मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है जब उससे कनिष्ठ व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, उस मामले में न्यायालय कभी-कभी भूतलक्षी प्रभाव के साथ पूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है और कभी-कभी ऐसा नहीं भी कर सकती है। विशेष रूप से जब प्रशासन ने गलत तरीके से उसके देय से इनकार कर दिया है तो उस मामले में उसे विधि में कोई परिवर्तन या कुछ अन्य पर्यवेक्षण कारकों के अधीन मौद्रिक लाभ सहित पूरा लाभ दिया जाना चाहिए। हालाँकि, किसी भी कठोर नियम को निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। "काम नहीं, तो वेतन नहीं" सिद्धांत को सामान्य नियम के रूप में स्वीकार नहीं

किया जा सकता है। ऐसे अपवाद भी हैं जहाँ न्यायालयों ने मौद्रिक लाभ भी स्वीकृत किए हैं।"

19. यह भी उल्लेखनीय है कि आक्षेपित निर्णय 15 मार्च, 2013 को पारित किया गया था। प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता के खिलाफ न्यायालय की अवमान अधिनियम के तहत पूर्व कार्यवाही के कारण केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का रुख करने के लिए विवश किया गया है। अवमानना याचिका दायर करने के कारण ही वर्तमान रिट याचिकाएँ दायर की गई है।

20. उपरोक्त सभी कारणों से, हम इन याचिकाओं और आवेदनों में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं, इन्हें प्रति प्रत्यर्थी 2,000/- रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थीगण को जुर्माने का भुगतान किया जाएगा।

(गीता मित्तल)
न्यायाधीश

(दीपा शर्मा)
न्यायाधीश

23 जनवरी, 2014
ए.ए.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*